धारा 16 : अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण का गठन

(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण द्वारा सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक अपील प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसका नाम (संघ राज्यक्षेत्र का नाम), अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण होगा:**परन्तु** केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी राज्य या किसी अन्य संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी अपील प्राधिकरण को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित कर सकेगी।

(2) अपीलीय प्राधिकरण,–

(i) केन्द्रीय कर मुख्य आयुक्त जिसे बोर्ड द्वारा अभिहित किया जाए; और

(ii) आवेदक पर अधिकारिता रखने वाला संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त,

से मिलकर बनेगा।